भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5695

जिसका उत्तर शुक्रवार, 27 मार्च, 2026/06 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की खरीद के लिए राजसहायता

5695. डॉ.एम.के.विष्णु प्रसाद:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत चार वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में यूरिया उर्वरकों की खरीद के लिए किसानों को राज्य-वार और वर्ष-वार कुल कितनी राजसहायता प्रदान की जा रही है;
(ख) क्या सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राजसहायता में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में किसानों के लिए यूरिया और उर्वरकों की निरंतर और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में आयातित यूरिया/उर्वरक का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): 'उर्वरकों में डीबीटी' प्रणाली के तहत, प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पीओएस उपकरणों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री पर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% सब्सिडी जारी की जाती है। सभी किसानों कोई मनाही नहीं के आधार पर सब्सिडी प्राप्त दरों पर उर्वरक की आपूर्ति की जा रही है। पिछले चार वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात वर्ष 2021-22 से 2025-26 (23.03.2026 की स्थिति के अनुसार) के दौरान सरकार द्वारा उर्वरक सब्सिडी पर संवितरित कुल राशि का विवरण इस प्रकार है:

(आंकड़े करोड़ रुपये में)		
वित्त वर्ष	**सब्सिडी स्कीम**	**व्यय**
2021-22	स्वदेशी यूरिया और यूरिया का आयात	**1,04,870.12**
2022-23	स्वदेशी यूरिया और यूरिया का आयात	**1,68,676.70**
2023-24	स्वदेशी यूरिया और यूरिया का आयात	**1,30,220.94**
2024-25	स्वदेशी यूरिया और यूरिया का आयात	**1,24,319.50**
2025-26 (23.03.2026 को)	स्वदेशी यूरिया और यूरिया का आयात	**1,36,532.06**

(ग): देश में उर्वरकों के निरंतर और सुचारू आयात को सुनिश्चित करने के लिए, उर्वरक विभाग ने भारतीय उर्वरक कंपनियों को संसाधन-समृद्ध देशों के साथ दीर्घकालिक करार (एलटीए) और समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने की सुविधा प्रदान की है।

इस संबंध में, वर्ष 2025-26 के लिए, भारतीय कंपनियों ने सऊदी अरब, मोरक्को और रूस से डीएपी/एनपीके उर्वरकों के आयात के लिए व्यवस्था की है। इसी प्रकार, म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) के लिए, भारतीय कंपनियों ने जॉर्डन, रूस, तुर्कमेनिस्तान, इजरायल, कनाडा और बेलारूस के साथ करार किया है। इसके अलावा, फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) अनुरोधों के आधार पर, एनबीएस स्कीम के तहत नई उत्पादक इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को मान्यता दी गई है/रिकॉर्ड में लिया गया है।

(ii) एनबीएस नीति के तहत कवर किए गए पीएंडके उर्वरकों की संख्या 2021 के 22 ग्रेड से बढ़कर 28 ग्रेड हो गई है।

(iii) मिट्टी को फॉस्फेटयुक्त अथवा 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने के लिए एसएसपी जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खरीफ, 2022 से एसएसपी पर माल भाड़ा सब्सिडी को मंजूरी दी गई है।

उपर्युक्त उपायों से पीएंडके उर्वरकों (डीएपी और एसएसपी सहित) का उत्पादन वर्ष 2014-15 में 159.54 एलएमटी से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 211.22 एलएमटी हो गया है

इसके अलावा, सरकार ने 01.04.2010 से फॉस्फेटियुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना लागू की है। एनबीएस नीति के तहत, पीएंडके उर्वरकों की एमआरपी को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है और कंपनियां उचित स्तर पर अपने व्यवसाय के उतार-चढ़ाव के अनुसार एमआरपी तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, उनके पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर, मौसम के दौरान अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों की पीओएसआर बिक्री पर निर्माता / आयातक को सब्सिडी प्रदान की जाती है।

यूरिया के संबंध में, देश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तीन राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) के माध्यम से समय पर आयात के माध्यम से यूरिया की आवश्यकता और स्वदेशी उत्पादन के बीच के अंतराल को पूरा किया जाता है।

इसके अलावा, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान रही 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 283.74 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जेवीसी नामत: तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप, असम के मौजूदा परिसर के भीतर 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसें असम वैली फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल कंपनी लिमिटेड (एवीएफसीसीएल) के नाम से जाना जाएगा।

इसके अलावा, सरकार ने आरएसी से अधिक स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करने के उद्देश्यों में से एक के साथ मौजूदा 25 गैस आधारित यूरिया इकाइयों के लिए नई यूरिया नीति (एनयूपी) - 2015 को 25 मई, 2015 को अधिसूचित किया। एनयूपी-2015 के कारण 2014-15 की तुलना में प्रतिवर्ष 20-25 एलएमटी अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन हुआ है।

उपर्युक्त उपायों से यूरिया उत्पादन को वर्ष 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रति वर्ष के स्तर से बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान 314.07 एलएमटी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान देश में 306.67 एलएमटी यूरिया का उत्पादन हुआ।

(घ): पिछले पांच वर्षों अर्थात वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके) के आयात का विवरण निम्नानुसार है:

(मात्रा एलएमटी में)

वर्ष	**यूरिया**	**कंपनियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार**		
		डीएपी	**एमओपी ***	**एनपीके**
2020-21	98.28	48.82	42.27	13.90
2021-22	91.36	54.62	24.60	11.70
2022-23	75.80	65.83	18.66	27.52
2023-24	70.42	55.67	28.69	22.17
2024-25	56.47	45.69	35.41	22.72
एमओपी में कृषि और औद्योगिक उपयोग दोनों शामिल हैं*				
